

**स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की योजनाओं में फ्लैट्स एवं भूखण्ड प्राप्त करने का एक
और स्वर्णिम अवसर**

(पंजीकरण दिनांक 18-08-2015 से 18-09-2015 तक)

श्रेणी	फ्लैट्स / भवन/ भूखण्डों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	किशतों में भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि		नकद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
				पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 25% (रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 12.5% (लाख रुपये में)
शताब्दीनगर, सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्कलेव योजना, (जी+3फ्लैट)							
2बैडरूप+ स्टडी रूप	45	99.40	23.00	2.30	1.15	5.75	2.88
टाईप ए 2 बैडरूप फ्लैट	151	81.15	20.00	2.00	1.00	5.00	2.50
टाईप बी 2 बैडरूप फ्लैट	85	86.10	21.00	2.10	1.05	5.25	2.63
रक्षापुरम फेस-1, सेक्टर 3 में स्थित रक्षाग्रीन योजना में (स्टील्ट+4 मंजिला) फ्लैट							
मध्यम आय वर्ग	69	71.88	29.50	2.95	1.475	7.375	3.69
गंगानगर योजना (4 मंजिला फ्लैट्स)							
अल्प आय वर्ग फ्लैट पॉकेट जे	12	39.75	11.06	1.11	0.56	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 14 प्रतिशत ब्याज के साथ 10 वर्ष की 20 समान छमाई किशतों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड ब्याज 18 प्रतिशत।	
डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना भूखण्ड दर रुपये 10,600/- प्रति वर्ग मीटर							
दुर्बल आय वर्ग पॉकेट एम	35	36	3.82	0.39	0.20	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 वर्ष की 8 समान छमाई किशतों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड ब्याज 16 प्रतिशत।	
दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक तथा अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख) तक होनी चाहिये, का सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिन आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।							

- *आरक्षित वर्ग (अनु०जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के किशतों आवेदकों को कीमत का 5% पंजीकरण धनराशि तथा नगद भुगतान के आवेदकों को कीमत का 12.5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष किशतों वाले आवेदकों को कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि तथा नकद भुगतान के शेष आवेदकों को कीमत का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी तथा एक मुश्त भुगतान का विकल्प देवे वाले आवेदकों को फ्लैट्स की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि (पंजीकरण के समायोजन उपरान्त) आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर कीमत का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि तथा एयरपोर्ट एन्कलेव एवं रक्षाग्रीन योजना के फ्लैट्स की शेष धनराशि 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 5 वर्ष 10 छमाई समान किशतों में जमा करनी होगी। विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व कीमत अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- आरक्षण- आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- समस्त श्रेणी के रिक्त फ्लैट्स में नकद भुगतान पर पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को लाटरी ड्रा में प्राथमिकता दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।
- एच०डी०एफ०सी० बैंक से ऋण की सुविधा।

(Handwritten signature)

1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 18-09-2015 तक निर्धारित भुगतान पर एच0डी0एफ0सी0बैंक व इलाहाबाद बैंक व आई0डी0बी0आई0 बैंक व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की शाखाओं से मिलेगी। उपरोक्त विज्ञापित बैंक जिनका विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.org.in पर तथा पंजीकरण विवरण पुस्तिका में उल्लिखित है, पंजीकरण आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकायें बैंक की अधिकृत शाखाओं से क्रय की जा सकती है तथा आवेदकों के पंजीकरण धनराशि सहित पंजीकरण आवेदन पत्र उन्हीं बैंक की शाखाओं में उक्त दिनांक तक जमा किये जायेंगे।

एयरपोर्ट एन्कलेव व रक्षाग्रिनी योजना की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित उपरोक्त बैंक की शाखाओं से रूपये 500/- के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।	गंगानगर योजना एवं डा0 राम मनोहर नगर योजना की दुर्बल/अल्प आय वर्ग सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित उपरोक्त बैंक की शाखाओं से रूपये 200/- के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।
प्राधिकरण की वेबसाइट (www.mdameerut.org.in) पर उपरोक्त योजनाओं की विवरण पुस्तिकायें उपलब्ध है। उपयोग में लाने पर उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट अलग से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा।	

2. योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण से (दूरभाष सं0 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 3. सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।

योजनाधिकारी।

— सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ —

उपाध्यक्ष।